



**भारतीय सेना**  
**10+2 तकनीकी प्रवेश योजना - 56**  
**जनवरी 2027 से शुरू होने वाला पाठ्यक्रम**



**मुख्य बातें**

(नीचे दी गई जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए रेडी रेकनर के तौर पर है)  
(वेबसाइट [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) पर प्रकाशित पाठ्यक्रम की अधिसूचना ही पाठ्यक्रम के लिए लागू एकमात्र आधिकारिक अधिसूचना है)

श्रेणी	विवरण	विस्तृत अधिसूचना का पैराग्राफ संख्या
प्रवेश (एंटी) का प्रकार	तकनीकी प्रवेश योजना (टीईएस-56) जनवरी 2027	पैरा 1
आयु	01 जनवरी 2027 को 16 ½ और 19 ½ वर्ष (अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 2007 से पहले और 01 जुलाई 2010 के बाद न हुआ हो (दोनों दिन शामिल))	पैरा 2 (ख)
प्रवेश लेने के पात्र	अविवाहित पुरुष	पैरा 1
शैक्षणिक योग्यता	भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ 10+2 (आवेदन हेतु कुल 60% अंकयोग और उससे अधिक अंक) और अभ्यर्थी जेईई मेन्स : 2026 में शामिल हुआ हो	पैरा 2 (ग)
रिक्तियां	90 (संगठनात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रिक्तियाँ बढ़/घट सकती हैं।)	पैरा 3
चिकित्सा	कृपया चिकित्सा मानकों और प्रक्रिया के लिए <a href="http://www.joinindianarmy.nic.in">www.joinindianarmy.nic.in</a> पर जाएं।	पैरा 2 (घ)
आवेदन कैसे करें	<a href="http://www.joinindianarmy.nic.in">www.joinindianarmy.nic.in</a> पर आवेदन करें	पैरा 9
आवेदन की तिथि	13 मई 2026 से 12 जून 2026 तक	-
चयन प्रक्रिया	आवेदन>शॉर्टलिस्टिंग> एसएसबी>मेडिकल>मेरिट लिस्ट>जॉइनिंग लेटर	पैरा 11
शॉर्टलिस्टिंग के लिए कट ऑफ अंकों के प्रतिशत के प्रकाशन की तिथि	संभवतः जुलाई 2026 का पहला सप्ताह	-
एसएसबी की संभावित अवधि और तिथियां	अगस्त से सितम्बर 2026 के बीच पांच दिवसीय तक एसएसबी	-
कमीशन पूर्व प्रशिक्षण अकादमी	कैडेट्स ट्रेनिंग विंग (CTW) एवं भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), देहरादून	पैरा 5(ख)
प्रशिक्षण की अवधि	04 वर्ष (03+01)	पैरा 5
डिग्री	अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) में डिग्री	पैरा 5 (ग)
प्रशिक्षण के दौरान वृत्ति	56,100/- रुपये प्रतिमाह केवल आईएमए (IMA) में	पैरा 7(घ)
प्रशिक्षण के बाद रैंक	लेफ्टिनेंट	पैरा 4
कमीशनिंग उपरांत वेतन	कॉस्ट टू कंपनी (CTC) लगभग 17-18 लाख प्रति वर्ष (निशुल्क चिकित्सा सुरक्षा तथा वर्ष में एक बार गृह नगर की यात्रा को छोड़कर पे मैट्रिक्स में लेवल 10)	-
कमीशन का प्रकार	स्थायी कमीशन	पैरा 4
कमीशन के लिए प्रमुख सेनांग/सर्विस	सभी सेनांग एवं सर्विस में कमीशन जिसमें ज्यादातर की कमीशनिंग कोर ऑफ इंजीनियर्स, कोर ऑफ सिग्नल्स एवं कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेकैनिक्ल इंजीनियर्स में होती है।	-



**भारतीय सेना**  
**10+2 तकनीकी प्रवेश योजना - 56**  
**जनवरी 2027 से शुरू होने वाला पाठ्यक्रम**



1. भारतीय सेना की तकनीकी प्रवेश योजना (TES-56) के तहत स्थायी कमीशन प्राप्त करने के इच्छुक अविवाहित पुरुष अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जिन्होंने भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणित (इसमें इसके बाद PCM से संबोधित) विषयों के साथ **10+2 परीक्षा उत्तीर्ण की हो** एवं **जेईई (मेन्स) 2026 परीक्षा में शामिल हुए हों** और उत्तरवर्ती अनुच्छेदों (पैरा) में वर्णित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

2. **पात्रता**

(क) **राष्ट्रीयता**- अभ्यर्थी अविवाहित पुरुष एवं निम्न में से कोई एक अवश्य होना चाहिए :-

(i) भारत का नागरिक, अथवा

(ii) नेपाल का नागरिक, अथवा

(iii) भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तंगानयिका एवं जंज़ीबार), ज़ांबिया, मालावी, ज़ायरे और इथियोपिया एवं वियतनाम में प्रवास किया हो तथा भारत में स्थायी रूप से बसने की मंशा रखता हो।

बशर्ते कि (ii) और (iii) श्रेणियों में आने वाले उस अभ्यर्थी को भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया हो। जो अभ्यर्थी नेपाल के गोरखा नागरिक हैं, उनके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है उसे इस शर्त पर परीक्षा में शामिल होने की अनंतरिम रूप से अनुमति दी जा सकती है कि एसएसबी द्वारा परिणाम घोषित किए जाने अथवा जॉइनिंग/प्रशिक्षण के पूर्व उसे सरकार द्वारा जारी विहित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

**नोट 1** अभ्यर्थियों को पूर्ण प्रशिक्षण समाप्त करने तक विवाह न करने संबंधी वचनबंधन देना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख के उपरांत विवाह करता है तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात भी प्रशिक्षण के लिए उसका चयन नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण के दौरान विवाह करता है तो उसे प्रशिक्षण से निकाल दिया जाएगा और भारत सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर खर्च की गई राशि को उसे वापस करना होगा।

(ख) **आयु सीमा**- पाठ्यक्रम शुरू होने वाले महीने की पहली तारीख यानी 01 जनवरी 2027 को अभ्यर्थी की आयु **16 ½ वर्ष से कम और 19 ½ वर्ष** से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म **01 जुलाई 2007 से पहले तथा 01 जुलाई 2010 के बाद नहीं हुआ हो** (इसमें दोनों तिथियां शामिल हैं)।

**नोट 1** अभ्यर्थी ध्यान दें कि केवल मैट्रिकुलेशन (दसवीं कक्षा)/ माध्यमिक स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज की गई जन्म-तिथि अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र ही आवेदन जमा करने की तिथि पर स्वीकार्य होंगे। उम्र संबंधी किसी अन्य दस्तावेज पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

**नोट 2** अभ्यर्थी यह भी ध्यान दें कि उनके द्वारा घोषित जन्म-तिथि को एक बार रिकॉर्ड में दर्ज करने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ग) **शैक्षणिक योग्यता**

(i) इस एंट्री के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों सहित न्यूनतम 60% अंकयोग (Aggregate) के साथ 10+2 अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगे। विभिन्न राज्य/ केंद्रीय बोर्डों के PCM प्रतिशत की गणना की पात्रता शर्तें कक्षा XII में अर्जित अंकों के आधार पर ही होंगी।

(ii) अभ्यर्थी **जेईई (मेन्स) 2026** की परीक्षा में अवश्य शामिल हुआ हो।

(घ) **चिकित्सीय जांच एवं शारीरिक मानदंड** भारतीय सेना में ऑफिसर्स एंट्री के लिए यथा लागू चिकित्सीय मानदंड एवं चिकित्सीय जांच की प्रक्रिया के लिए कृपया [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) वेबसाइट को विज़िट करें।

**नोट :** चिकित्सा (Medical) बोर्ड की कार्यवाही गोपनीय होती है जिसे किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाएगा। चिकित्सा (Medical) बोर्ड की कार्यवाही में भर्ती महानिदेशालय की कोई भूमिका नहीं होती है। सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा संस्तुत प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाएगा।

(च) आवेदन करने वाला अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए उस पर रोक न लगाई गई हो। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर ले कि वह कभी गिरफ्तार न हुआ हो अथवा किसी सत्र न्यायालय ने उसे दोषी न माना हो या उसकी किसी न्यायालयी मामले में संलिप्तता न हो। **यदि चयन प्रक्रिया अथवा कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण के दौरान ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) द्वारा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी/अकादमी से निकाल दिया जाएगा।**

3. **रिक्तियाँ 90.** रिक्तियाँ अनंतिम हैं एवं **कैडेट्स ट्रेनिंग विंग्स** में इस पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण नफरी क्षमता के अनुसार बदल सकती हैं। संगठनात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रिक्तियाँ बढ़/घट सकती हैं।

4. **कमीशन का प्रकार** 4 वर्ष के पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात कैडेट को सेना में लेफ्टिनेंट रैंक में स्थायी कमीशन प्रदान किया जाएगा।

5. **प्रशिक्षण** नीचे उल्लेखित कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण अकादमियों (पी कमीशन्ड ट्रेनिंग एकैडेमिज़, PCTA) में पूरा प्रशिक्षण 4 वर्षों का होगा। विवरण निम्न हैं :-

(क) **चरण-I** CME, पुणे/ MCTE, महू/ MCEME सिकंदराबाद में अवस्थित कैडेट्स ट्रेनिंग विंग्स में तीन वर्षों के लिए इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एवं इंजीनियरिंग ट्रेनिंग।

(ख) **चरण-II** भारतीय सैन्य अकादमी (IMA), देहरादून में एक वर्ष की इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एवं इंजीनियरिंग ट्रेनिंग।

(ग) **डिग्री की पात्रता** 04 (चार) वर्षों के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को इंजीनियरिंग की डिग्री दी जाएगी। इस इंजीनियरिंग उपाधि के एवज में अभ्यर्थी के लिए कोई पूर्व दिनांकित वरिष्ठता लागू नहीं होगी। चार वर्षों की संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि के दौरान

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुपालन में शैक्षणिक आधार पर अधिकतम केवल दो असफल प्रयासों की अनुमति होगी। शैक्षणिक आधार पर अगली असफलता के फलस्वरूप अभ्यर्थी को प्रशिक्षण से बाहर कर दिया जाएगा।

(घ) **कमीशन की समाप्ति** कमीशन (Commission) प्राप्त अधिकारी दस वर्षों तक सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन भारत सरकार द्वारा उसका कमीशन किसी भी समय निम्नलिखित कारणों से समाप्त किया जा सकता है:

- (i) दुराचार (Misconduct) या यदि उसकी सेवाएँ असंतोषजनक पाई जाती हैं, या
- (ii) चिकित्सीय रूप से अयोग्य (Medically unfit) पाए जाने पर, या
- (iii) यदि उसकी सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है, या
- (iv) यदि वह किसी निर्धारित परीक्षण या पाठ्यक्रम (Test or Course) में अर्हता प्राप्त करने में विफल रहता है।
- (v) एक अधिकारी को तीन महीने का नोटिस देकर मानवीय आधार (Compassionate grounds) पर अपना कमीशन त्यागने (इस्तीफा देने) की अनुमति दी जा सकती है, जिसके औचित्य का एकमात्र निर्णायक भारत सरकार होगी। वह अधिकारी जिसे मानवीय आधार पर कमीशन त्यागने की अनुमति दी जाती है, वह सेवा समाप्ति उपदान (Terminal Gratuity) के लिए पात्र नहीं होगा।

**नोट** अभ्यर्थी ध्यान दें कि अंतिम रूप से चयन होने के पश्चात संबंधित नागरिक/पुलिस/शैक्षणिक प्राधिकारों (जो भी लागू हो) से उनके पूर्ववृत्त के संतोषजनक सत्यापन हो जाने तक उनकी अभ्यर्थिता अनंतिम रहेगी।

6. **प्रशिक्षण पर खर्च** **₹. 13,940/-** (वर्ष 2021 के अनुसार) एवं समय-समय पर प्रति सप्ताह जैसा अधिसूचित किया जाए (अभ्यर्थी के कैडेट ट्रेनिंग विंग्स/ भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में रहने की अवधि के दौरान)। खर्च का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा एवं निजी कारणों से प्रशिक्षण छोड़ने वाले अभ्यर्थियों से इसकी वसूली की जाएगी।

## 7. **पदोन्नति मानदंड एवं वेतन संरचना**

(क) **पदोन्नति मानदंड**

रैंक	पदोन्नति मानदंड
लेफ्टिनेंट	कमीशन पर
कैप्टन	2 वर्ष की गणनीय कमीशन सेवा पूरी करने पर
मेजर	6 वर्ष की गणनीय कमीशन सेवा पूरी करने पर
लेफ्टिनेंट कर्नल	13 वर्ष की गणनीय कमीशन सेवा पूरी करने पर
कर्नल (समय-मान)	26 वर्ष की गणनीय कमीशन सेवा पूरी करने पर
कर्नल	आवश्यक सेवा शर्तें पूरी करने के उपरांत चयन होने के आधार पर
ब्रिगेडियर	
मेजर जनरल	
लेफ्टिनेंट जनरल	
जनरल	

(ख) **वेतन**

रैंक	लेवल	वेतन (रुपए में)
लेफ्टिनेंट	लेवल 10	56,100-1,77,500
कैप्टन	लेवल 10 बी	61,300-1,93,900
मेजर	लेवल 11	69,400-2,07,200
लेफ्टिनेंट कर्नल	लेवल 12 ए	1,21,200-2,12,400
कर्नल	लेवल 13	1,30,600-2,15,900
ब्रिगेडियर	लेवल 13 ए	1,39,600-2,17,600
मेजर जनरल	लेवल 14	1,44,200-2,18,200
लेफ्टिनेंट जनरल उच्च प्रशासनिक श्रेणी (HAG Scale)	लेवल 15	1,82,200-2,24,100
लेफ्टिनेंट जनरल उच्च प्रशासनिक + श्रेणी (HAG + Scale)	लेवल 16	2,05,400-2,24,100
सह सेनाध्यक्ष/सेना कमांडर/ लेफ्टिनेंट जनरल (अकृत्यिक चयन श्रेणी ,NMSG)	लेवल 17	2,25,000/- (नियत)
सेनाध्यक्ष	लेवल 18	2,50,000/- (नियत)

(ग) **सैन्य सेवा वेतन (MSP)** लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर रैंक तक के अफसरों को प्रतिमाह नियत MSP रु. 15,500/-

(घ) **कैडेट प्रशिक्षण के लिए नियत वृत्ति (स्टाइपेंड)** प्रशिक्षण के तीन (03) वर्ष पूरे करने पर एनडीए कैडेट्स को स्वीकार्य वृत्ति के अनुरूप ही जेंटलमैन कैडेट्स को प्रतिमाह रु 56,100/- की वृत्ति दी जाएगी। 04 वर्षों के प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात उनको लेफ्टिनेंट रैंक में कमीशन दी जाएगी एवं वे रैंक के अनुरूप वेतन पाने के हकदार होंगे।

\* सफल कमीशनिंग के पश्चात कमीशन्ड अफसर के वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 के प्रथम सेल में किया जाएगा एवं प्रशिक्षण की अवधि को कमीशन्ड सेवा नहीं माना जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के लिए लागू स्वीकार्य भत्तों के बकाया का भुगतान कैडेटों को किया जाएगा।

(छ) **अन्य भत्ते**

(i)	महंगाई भत्ता	सिविलियन कार्मिकों पर समय-समय पर लागू होने वाले भत्ते समान दरों और समान शर्तों के साथ स्वीकार्य
(ii)	किट रखरखाव भत्ता (वर्दी भत्ता)	नए प्रस्तावित पोशाक भत्ते अर्थात रु. 20,000/- प्रति वर्ष में सम्मिलित।

(ज) **जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स:** 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) द्वारा जोखिम और कठिनाई भत्ते के लिए मैट्रिक्स निम्नानुसार लागू किया गया है :-

RH मैट्रिक्स अफसर- रु. 42500/*	कठिनाई		
	उच्च	मध्यम	निम्न

सियाचिन भत्ता				
	<b>उच्च</b>	<p>R1H1 अफसरों के लिए - रु. 25000*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>उड़ान भत्ता</li> <li>मार्कोस (MARCOS) एवं शैरियट भत्ता</li> <li>विशेष बल भत्ता</li> <li>पनडुब्बी भत्ता</li> <li>कोबरा (COBRA) भत्ता</li> <li>उच्च तुंगता भत्ता - श्रेणी III</li> </ul>	<p>R1H2 अफसरों के लिए - रु. 16900*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HAFA भत्ता</li> <li>CI (Fd) भत्ता (CI Mod Fd CI Fd के 77% की दर से)</li> </ul>	<p>R1H3 अफसरों के लिए - रु. 5300*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>अस्पताल मरीज देखभाल भत्ता (HPCA)</li> <li>मरीज देखभाल भत्ता (PCA)</li> <li>टेस्ट पायलट एवं फ्लाईट इंजीनियर भत्ता</li> </ul>
	<b>मध्यम</b>	<p>R2H1 अफसरों के लिए - रु. 16900* शून्य</p>	<p>R2H2 अफसरों के लिए - रु. 10500*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>फील्ड एरिया भत्ता (Mod Fd क्षेत्र @ Fd क्षेत्र भत्ते का 60%)</li> <li>CI (शांति) भत्ता</li> <li>समुद्र गमन भत्ता</li> <li>फ्री फॉल जंप प्रशिक्षक भत्ता</li> <li>पैरा जंप प्रशिक्षक भत्ता</li> <li>पैरा भत्ता</li> </ul>	<p>R2H3 अफसरों के लिए - रु. 3400* शून्य</p>
	<b>निम्न</b>	<p>R3H1 अफसरों के लिए - रु. 5300*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>उच्च तुंगता भत्ता - श्रेणी II</li> <li>टफ लोकेशन भत्ता - I</li> <li>बॉयलर निगरानी भत्ता</li> </ul>	<p>R3H2 अफसरों के लिए - रु. 3400*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>उच्च तुंगता भत्ता - श्रेणी I</li> <li>टफ लोकेशन भत्ता - II</li> <li>परियोजना भत्ता</li> <li>प्रतिपूरक (निर्माण अथवा सर्वेक्षण) भत्ता</li> </ul>	<p>R3H3 अफसरों के लिए - रु. 1200*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>टफ लोकेशन भत्ता - III</li> <li>कुकिंग भत्ता</li> <li>हार्डलाईग मनी (पूर्ण दर से)</li> <li>स्वास्थ्य एवं मलेरिया भत्ता</li> <li>विशेष एलसी गेट भत्ता</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पनडुब्बी ऊ्यूटी भत्ता</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• जल सर्वेक्षण भत्ता (गैर-सर्वेक्षकों को छोड़कर)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पनडुब्बी तकनीक भत्ता</li> <li>• जल सर्वेक्षण भत्ता (गैर सर्वेक्षकों के लिए)</li> </ul>
--	---	--	---

(झ) **वर्दी भत्ता** रु. 20,000\*/- प्रति वर्ष में सम्मिलित।

(ट) **राशन के रूप में** शांतिकालीन और फील्ड क्षेत्रों में।

(ठ) **परिवहन भत्ता (टीपीटीए)**

पे लेवल	उच्च टीपीटीए वाले शहर (रु. प्रति माह)	अन्य शहर (रु. प्रति माह)
9 एवं उससे ऊपर	रु. 7200+ उस पर लागू महंगाई भत्ता	रु. 3600+ उस पर लागू महंगाई भत्ता

### नोट

(i) उच्च टीपीटीए वाले शहर (यूए) हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, कोच्चि, कोझिकोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयंबटूर, गाज़ियाबाद, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता।

(ii) यह भत्ता उन कार्मिकों को देय नहीं होगा जिन्हें सरकारी परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(iii) पे लेवल 14 और उससे ऊपर के अफसर जो सरकारी कार का उपयोग करने के पात्र हैं, उनके पास सरकारी कार की सुविधा लेने अथवा रु. 15,750 + उस पर लागू डीए की दर से टीपीटीए का लाभ लेने का विकल्प होगा।

(iv) यह भत्ता उस कैलेण्डर माह के लिए स्वीकार्य नहीं होगा जिस माह में कार्मिक पूरे महीने की छुट्टी पर हो।

(v) शारीरिक रूप से अक्षम कार्मिकों को टीपीटीए का दोगुनी दर से भुगतान जारी रहेगा जो न्यूनतम सीमा यानी रु. 2,250 + उस पर लागू डीए से कम नहीं होगा।

(ड) **संतान शिक्षा भत्ता** रु. 2,250/-\* **प्रति माह** प्रत्येक संतान के लिए जिसमें जीवित संतान में से सबसे बड़ी दो संतानों को ही कक्षा प्रथम से पहले तीन कक्षाओं से लेकर बारहवीं कक्षा तक के लिए यह भत्ता अनुमान्य होगा।

(i) प्रतिपूर्ति वर्ष में केवल एक बार, वित्तीय वर्ष (जो अधिकांश स्कूलों के लिए शैक्षणिक वर्ष के साथ मेल खाता है) पूरा होने के बाद की जाएगी।

(ii) इस उद्देश्य के लिए उस संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र पर्याप्त होगा जिसमें सरकारी कार्मिक की संतान अध्ययनरत है। प्रमाण-पत्र से इस बात की पुष्टि होनी चाहिए कि बच्चे ने पिछले शैक्षणिक वर्ष में उस स्कूल में पढ़ाई की है।

\*प्रत्येक बार जब महंगाई भत्ता 50% बढ़ेगा तो भत्ते की दरें स्वतःही 25% बढ़ जाएंगी।

# "पैरा 7.6 में दिए गए ये सभी भत्ते कड़ाई से निर्धारित योग्यता/पात्रता शर्तों के अनुसार ही लागू होंगे और ये सभी के लिए देय नहीं हैं।"

**नोट 1** कृपया ध्यान दें कि वेतन एवं भत्ते तथा इनके नियम/प्रावधान समय-समय पर संशोधन के अधीन हैं।

**नोट 2** रक्षा बलों के लिए विशिष्ट भत्तों के मामले में, संशोधित वेतन बैंड पर देय महंगाई भत्ते के 50% से अधिक होने पर इन भत्तों की दरें स्वतःही 25% बढ़ जाएंगी (भारत सरकार के दिनांक 16 अगस्त 2017 का पत्र संख्या A-27012/02/2017-Estt. (AL))

(द) **छात्रावास सहायिकी (सब्सिडी)** रु. 6750/-\* प्रति माह प्रति संतान केवल जीवित सबसे बड़ी दो संतानों के लिए।

(त) **छुट्टी** समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार्य होगी।

8. कमीशन किए जाने पर सभी अफसरों को सेना समूह बीमा योजना द्वारा निर्धारित तथा समय-समय पर संशोधित नियमों एवं शर्तों का पालन करना होगा।

(क) सेना समूह बीमा कोष (AGIF) प्री-कमीशन प्रशिक्षण में शामिल होने की तिथि से कैडेटों द्वारा ₹14,000 के एकमुश्त गैर-वापसी योग्य प्रीमियम के भुगतान पर ₹30 लाख का बीमा कवर प्रदान करता है, जो प्रशिक्षण के उन पहले तीन वर्षों को कवर करता है जब कैडेटों को वजीफा (stipend) नहीं मिलता है। यदि किसी कैडेट को 'रेलीगेट' किया जाता है, तो प्रति रेलीगेटेड टर्म ₹2,635 का अतिरिक्त प्रीमियम देना होगा। ऐसे कैडेट जिन्हें विकलांगता के कारण चिकित्सा बोर्ड (IMB) द्वारा बाहर कर दिया गया है और वे किसी पेंशन के हकदार नहीं हैं, उन्हें 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए ₹25 लाख दिए जाएंगे, जो 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए आनुपातिक रूप से घटकर ₹5 लाख हो जाएगी; हालाँकि, 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के लिए केवल अनुग्रह अनुदान (Ex-Gratia) दिया जाएगा, जो प्रशिक्षण के पहले दो वर्षों के दौरान ₹50,000 और तीसरे वर्ष के दौरान ₹1 लाख होगा। शराब की लत, नशीली दवाओं के सेवन और भर्ती से पहले की बीमारियों के कारण होने वाली विकलांगता के लिए कोई लाभ या अनुग्रह अनुदान नहीं दिया जाएगा, साथ ही अनुशासनात्मक आधार पर निकाले गए, निष्कासित किए गए या स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले कैडेट भी इसके पात्र नहीं होंगे और इस योजना के तहत कोई बचत घटक (saving component) भी शामिल नहीं है।

(ख) वृत्ति (स्टाइपेंड) प्राप्त करने वाले जेंटलमैन कैडेटों का नियमित सेना के अफसरों के लिए लागू **रु.1.25 करोड़** का बीमा किया जाता है। नियमित सेना अफसरों के लिए लागू एजीआई योजना के तहत सदस्य बनने के लिए जेंटलमैन कैडेट द्वारा मासिक आधार पर **रु.12,500/-** की दर से सदस्यता का अग्रिम भुगतान करना होगा। **जो लोग विकलांगता के कारण आईएमबी (IMB) द्वारा अमान्य कर दिए जाते हैं और किसी भी पेंशन के हकदार नहीं हैं, उन्हें 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए रु. 25 लाख प्रदान किए जाएंगे। यह समानुपातिक रूप से 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए रु. 5 लाख तक कम हो जाएगा।** हालाँकि, 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के लिए केवल रु. 50,000/- की अनुग्रह अनुदान राशि का ही भुगतान किया जाएगा। शराब, नशे की लत और नामांकन-पूर्व उत्पन्न बीमारियों के कारण होने वाली विकलांगता के लिए संबंधित प्रशिक्षु विकलांगता लाभ एवं अनुग्रह अनुदान के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनात्मक आधार पर हटाए गए, अवांछनीय मानकर निष्कासित किए गए अथवा

स्वेच्छा से अकादमी छोड़ने वाले जेंटलमैन कैडेट भी विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

9. **आवेदन कैसे करें** आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। ऐसा करने के लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) पर 'online application' बटन पर क्लिक करना होगा।

(क) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अपना विवरण दर्ज करना होगा। फॉर्म जमा करने से पहले अभ्यर्थी उससे जुड़ी नियम व शर्तों को अवश्य पढ़ लें।

(ख) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन की समाप्ति तक ऑनलाइन आवेदन में गलत भरे गए विवरण में बदलाव करने की अनुमति है। अभ्यर्थी को हर बार संपादन के लिए अपना आवेदन खोलने के बाद उसे 'सबमिट' करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं होगी और इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) फॉर्म सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, अभ्यर्थी को एक डायलॉग बॉक्स के माध्यम से आवेदन जमा करने की पुष्टि प्राप्त होगी। ऑनलाइन आवेदन बंद होने के 30 मिनट बाद अभ्यर्थी का क्रमांक सहित आवेदन-पत्र प्रिंटआउट के लिए उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों को सिस्टम द्वारा जनरेट की गई क्रमांक सहित आवेदन-पत्र की दो प्रतियाँ प्रिंट करानी होंगी। अभ्यर्थी को प्रिंटेड आवेदन-पत्र की एक स्वअभिप्रमाणित प्रति एसएसबी (SSB) साक्षात्कार के लिए चयन केंद्र (Selection Centre) ले कर जाना होगा। आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को भी ले जाना होगा:-

- (i) कक्षा 10वीं का मूल प्रमाण-पत्र एवं जन्मतिथि दर्शाने वाला मूल अंक-पत्र।
- (ii) कक्षा 12वीं का मूल प्रमाण-पत्र एवं मूल अंक-पत्र।
- (iii) मूल पहचान-पत्र।
- (iv) **जेईई (मेन्स) 2026 के परिणाम की प्रति**

ऑनलाइन आवेदन के प्रिंटआउट की दूसरी प्रति अभ्यर्थी अपने संदर्भ के लिए अपने पास रखेगा। आवेदन-पत्र के प्रिंटआउट की कोई हार्ड कॉपी भर्ती महानिदेशालय को भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित प्रमाण-पत्रों की दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ एसएसबी साक्षात्कार के समय जमा करनी होंगी और मूल प्रतियाँ एसएसबी में ही सत्यापन के बाद वापस कर दी जाएंगी।

(च) आवेदन-पत्र के साथ पासपोर्ट आकार के फोटो की स्वअभिप्रमाणित 20 प्रतियाँ भी लानी होंगी।

(छ) अभ्यर्थियों को केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत करना होगा। एक ही अभ्यर्थी द्वारा एक से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

आवेदन की अस्वीकृति से बचने के लिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि कोई गलती न हो।

**नोट 1** आवेदन जमा करने के पश्चात अभ्यर्थी के डाक पते में किसी भी प्रकार के बदलाव की जानकारी क्रमांक संख्या, नाम और पाठ्यक्रम की जानकारी देते हुए डाक से दिया जाना जरूरी है।

**नोट 2** यदि अभ्यर्थी कार्यरत है तो वह उसका विवरण देगा तथा यह वचनबंध देगा कि उसने अपने नियोक्ता को लिखित में सूचित कर दिया है कि वह सेना में कमीशन के लिए आवेदन कर रहा है।

## 10. महत्वपूर्ण अनुदेश

(क) अभ्यर्थी को भर्ती महानिदेशालय की वेबसाइट [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) पर 'ऑनलाइन' आवेदन करना होगा। आवेदन की जाँच भर्ती महानिदेशालय, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (सेना) में की जाएगी और उसके बाद अभ्यर्थी को एसएसबी की सूचना दी जाएगी।

(ख) एसएसबी साक्षात्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन के प्रिंटआउट के साथ मूल दस्तावेजों के साथ दो प्रतियों में स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी जिसमें संबंधित बोर्ड (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/ राज्य शिक्षा बोर्ड/ इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन) द्वारा जारी 10वीं कक्षा का प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि के प्रमाण के लिए जन्मतिथि दर्शाई गई हो (प्रवेश-पत्र/अंक-पत्र/स्थानांतरण/ स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र आदि जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं) और शैक्षणिक प्रमाण के रूप में 12वीं का प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र तथा **जेईई (मेन्स) 2026 के परिणाम की प्रति** शामिल हैं। इस पाठ्यक्रम के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी संशोधित अंक-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

(ग) आवेदन करते समय अभ्यर्थी को कक्षा 12वीं में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित (PCM) में प्राप्त वास्तविक प्रतिशत के दो दशमलव तक के अंक को दर्शाना होगा एवं उसे पूर्णांकित नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में पीसीएम में प्राप्त प्रतिशत की कोई भी गलत प्रविष्टि पाए जाने पर उसे तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

केवल इंजीनियरी स्नातक (BE)/ प्रौद्योगिकी स्नातक (B Tech) पाठ्यक्रमों के लिए सभी अभ्यर्थियों को उनके जेईई मेन्स 2026 का आवेदन संख्या भरना आवश्यक है।

(घ) एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) को बिना कोई कारण बताए आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करने और न्यूनतम अर्हक अंक (कट ऑफ) निर्धारित करने का अधिकार है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी अपूर्ण आवेदनों को सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी को लिखित अथवा मौखिक रूप से इसकी कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

(च) शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को **एसएसबी साक्षात्कार** के लिए बुलाया जाएगा जो संभवतः **अगस्त / सितम्बर 2026** से आयोजित किया जाएगा।

(छ) एसएसबी परीक्षण के दौरान लगी किसी भी चोट के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

(ज) अनुशासनात्मक आधार पर एनडीए, ओटीए, आईएमए, नौसेना अकादमी, वायुसेना अकादमी अथवा किसी भी सर्विस ट्रेनिंग अकादमी से निकाले गए अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

(झ) प्री-कमीशनिंग प्रशिक्षण से पहले अंतिम मेरिट सूची भर्ती महानिदेशालय की वेबसाइट [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) पर प्रदर्शित की जाएगी।

11. **चयन प्रक्रिया** चयन प्रक्रिया इस प्रकार है:-

(क) **आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग** एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) को आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग करने और जेईई मेन्स कॉमन रैंक लिस्ट (सीआरएल) के आधार पर बिना कोई कारण बताए न्यूनतम अर्हक अंक (कट ऑफ) निर्धारित करने का अधिकार है। अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग के बाद केंद्र आवंटन की सूचना उन्हें उनकी ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। चयन केंद्र आवंटन के बाद अभ्यर्थियों को एसएसबी की निश्चित तिथियाँ आवंटित की जाएंगी।

(ख) **सेवा चयन बोर्ड (SSB)** केवल न्यूनतम अर्हक अंक (कट ऑफ) के आधार पर शॉर्टलिस्टेड पात्र अभ्यर्थियों का प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), बेंगलुरु (कर्नाटक) अथवा जालंधर (पंजाब) में स्थित चयन केंद्रों में से किसी एक में मनोवैज्ञानिक, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एवं साक्षात्कार लेने वाले ऑफिसर द्वारा एसएसबी परीक्षण किया जाएगा। एसएसबी साक्षात्कार के लिए कॉल अप लेटर संबंधित चयन केंद्रों द्वारा अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल आईडी और एसएमएस पर ही जारी किया जाएगा। चयन केंद्र का आवंटन भर्ती महानिदेशालय, एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय (सेना) के विवेक पर निर्भर करता है और इस संबंध में बदलाव के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को दो चरणों की चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। चरण-I को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अभ्यर्थी चरण-II में जाएंगे। चरण-I में असफल अभ्यर्थियों को उसी दिन वापस भेज दिया जाएगा। एसएसबी साक्षात्कार की अवधि पांच दिनों की है जिसका विवरण भर्ती महानिदेशालय की वेबसाइट [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) पर उपलब्ध है। चरण-II के पश्चात अनुशंसित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा।

(ग) **चिकित्सीय परीक्षण** एसएसबी द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को निकटतम सैन्य अस्पताल (एमएच) में चिकित्सा परीक्षण कराना होगा तथा अभ्यर्थियों को पुरुष/महिला डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(घ) **मेरिट एवं ज्वाइनिंग लेटर** मेरिट सूची केवल एसएसबी में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। एसएसबी द्वारा अनुशंसित तथा चिकित्सीय रूप से फिट घोषित अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के आधार पर, योग्यता के क्रम में प्रशिक्षण के लिए ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा, बशर्ते कि वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।

**नोट 1** यदि कोई अभ्यर्थियों व्यक्तिगत कारणों से उपर्युक्त पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो कृपया हमारी वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत प्रोफाइल पर लॉग इन करके हमें सूचित करें। यदि कोई अभ्यर्थियों रिपोर्टिंग तिथि से 07 दिनों के भीतर रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और रिक्ति को भरने के लिए अगले मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवार को अपग्रेड किया जाएगा।

(च) **कैडेट प्रशिक्षण विंग (CTWs) का चयन** एसएसबी द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों को कैडेट ट्रेनिंग विंग के तीन विकल्पों अर्थात् CTW, CME पुणे; CTW, MCTE महु तथा CTW, MCEME सिकंदराबाद में से किसी एक का चयन करना होगा। सभी विकल्प अनिवार्य रूप से भरे जाने चाहिए। कोई भी विकल्प समान नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा एक बार विकल्प भरने के बाद उसे बदला नहीं जा सकेगा। विकल्प भरने मात्र से कैडेट प्रशिक्षण विंग का आवंटन निर्धारित नहीं होगा। कैडेट प्रशिक्षण विंग का अंतिम आवंटन भारतीय सेना द्वारा तय किया जाएगा और जारी किए गए ज्वाइनिंग अनुदेशों में दर्शाया जाएगा। किसी अभ्यावेदन अथवा कैडेट प्रशिक्षण विंग में बदलाव की अनुमति नहीं होगी।

(छ) **शारीरिक मानदंड** जिन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए हैं उनसे दी गई सारणी के अनुसार न्यूनतम शारीरिक मानदंड प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है:-

क्रम संख्या	गतिविधि	प्रशिक्षण के लिए आने पर न्यूनतम शारीरिक मानदंड
		अफसर कैडेट (पुरुष)
(i)	2.4 किमी दौड़	10 मिनट 30 सेकंड
(ii)	पुश अप	40
(iii)	पुल अप	06
(iv)	सिट अप	30
(v)	स्कॉट	30 पुनरावृत्तियों के दो सेट
(vi)	लंजेस	10 पुनरावृत्तियों के दो सेट
(vii)	तैराकी	तैराकी के बुनियादी नियमों की जानकारी होनी चाहिए

(ज) **इंजीनियरिंग की डिग्री**

(i) तीन कैडेट प्रशिक्षण विंग द्वारा प्रस्तावित इंजीनियरिंग स्ट्रीम इस प्रकार हैं:-

- (कक) CTW, CME पुणे – सिविल एवं मेकैनिकल इंजीनियरिंग
- (कख) CTW, MCTE महु – दूरसंचार एवं आईटी इंजीनियरिंग (दोहरी डिग्री)
- (कग) CTW, MCEME सिकंदराबाद – इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकैनिकल इंजीनियरिंग

(ii) प्रत्येक कैडेट प्रशिक्षण विंग (CTW) के लिए मूल सेनांग/सर्विस निम्नानुसार है:-

- (कक) CTW, CME पुणे – इंजीनियर्स कोर
- (कख) CTW, MCTE महु – सिग्नल कोर
- (कग) CTW, MCEME सिकंदराबाद – इलेक्ट्रॉनिक्स और यांत्रिक इंजीनियर्स कोर

(झ) अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी सेना अनुदेश (AI) 53/78 के अंतर्गत एनडीए प्रवेश के नियमित कैडेटों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप ही सभी बंधपत्र/प्रमाणपत्रों को भरकर प्रस्तुत करेंगे।

(ट) अंतिम चयन अथवा किसी सेनांग/सर्विस के आवंटन की स्थिति में अभ्यर्थी को आपत्ति का कोई अधिकार नहीं होगा एवं ऐसा संगठन के हित में किया जाएगा।

**नोट 1** यदि चयन के किसी भी चरण में अभ्यर्थी अयोग्य पाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जाती है तो इसके विरुद्ध अभ्यर्थी के किसी दावे अथवा क्षतिपूर्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

**नोट 2** यदि चयन के किसी भी चरण में अभ्यर्थी अनुशासन संबंधी किसी भी स्थानीय आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसे भविष्य में इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित कर दिया जाएगा तथा वर्तमान पाठ्यक्रम से उसे निष्कासित कर दिया जाएगा।

**नोट 3** तकनीकी प्रवेश योजना (टीईएस) और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) प्रवेश के कॉमन अभ्यर्थियों के लिए प्रक्रिया

- (क) 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना (टीईएस) और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी (एनडीए एवं एनए) के समान पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा जिसमें उन्हें पहले अनुशंसित किया गया हो।
- (ख) जिन अभ्यर्थियों को एनडीए एसएसबी से पहले टीईएस के लिए अनुशंसित किया जाता है उन्हें टीईएस और एनडीए (वायुसेना एवं नौसेना) के लिए अलग-अलग चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। एनडीए के लिए चिकित्सा परीक्षण केवल तभी शुरू होगा जब अभ्यर्थी टीईएस के चिकित्सा परीक्षण में फिट घोषित किया जाएगा। अगर एनडीए सेना ही अभ्यर्थियों की प्राथमिकता है, तो इन टीईएस अभ्यर्थियों को दोबारा एनडीए चिकित्सा परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है।
- (ग) जिन अभ्यर्थियों को टीईएस से पहले एनडीए हेतु एसएसबी के लिए अनुशंसित किया जाता है उन्हें टीईएस के लिए अलग से चिकित्सा परीक्षण नहीं कराना होगा। टीईएस (10+2) के लिए चिकित्सा मानक एनडीए (सेना) चिकित्सा परीक्षण के समान ही होगा। यदि एनडीए चिकित्सा परीक्षण अर्थात् एसएमबी अथवा एएमबी एथवा आरएमबी अभी भी जारी है तो उसे पूरा कर लिया जाएगा और अभ्यर्थी टीईएस की चिकित्सा परीक्षण के लिए दोबारा उपस्थित नहीं होंगे। एनडीए में अयोग्य घोषित अभ्यर्थी को टीईएस के लिए भी अयोग्य माना जाएगा।
- (घ) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रवेश योजना अर्थात् टीईएस अथवा एनडीए एवं एनए समान पाठ्यक्रम में चिकित्सा परीक्षण के किसी भी चरण में अयोग्य/अनुपस्थिति के कारण अयोग्य पाया जाता है तो उसे दोनों प्रवेश योजनाओं के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (च) किसी भी पूर्व चिकित्सा परीक्षा की जानकारी का खुलासा न करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

12. **स्थायी शारीरिक टैटू** विस्तृत टैटू नीति (पॉलिसी) के लिए भारतीय सेना की वेबसाइट [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) देखें।

13. **साक्षात्कार की तिथियों में परिवर्तन** एसएसबी साक्षात्कार की तिथि/केंद्र के संबंध में बदलाव का न तो कोई अनुरोध स्वीकार किया जाएगा और न ही उसका उत्तर दिया जाएगा।

14. **यात्रा भत्ते की पात्रता** किसी विशेष प्रकार के कमीशन के लिए पहली बार साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर आने-जाने के लिए रेलवे के वातानुकूलित श्रेणी-3 (एसी टियर-3) का किराया अथवा बस का किराया मिलेगा जिसमें आरक्षण-सह-शयनयान शुल्क भी शामिल हैं। उसी प्रकार के कमीशन के लिए दोबारा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बाद में किसी भी अवसर पर यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। यात्रा भत्ते की स्वीकार्यता अथवा भुगतान से संबंधित किसी भी पूछताछ/स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी सीधे संबंधित चयन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

15. **मेरिट सूची** ध्यान दें कि केवल एसएसबी साक्षात्कार में उत्तीर्ण होना ही अंतिम चयन की पुष्टि नहीं है। एसएसबी साक्षात्कार में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट सूची को अंतिम रूप देने में उच्च शैक्षणिक योग्यता, पिछला प्रदर्शन, एनसीसी पृष्ठभूमि आदि की कोई भूमिका नहीं होगी। कैडेट प्रशिक्षण विंग में प्री-कमीशन प्रशिक्षण में

शामिल होने के लिए ज्वाइनिंग लेटर केवल रिक्तियों और चिकित्सीय रूप से फिट होने के आधार पर जारी किए जाएंगे।

**नोट 1** सेना में शामिल होने पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार सेवा में कुछ वैयक्तिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जैसा कि समय-समय पर सेना अधिनियम और सेना नियमों में प्रख्यापित किया गया है।

**नोट 2** चयन के किसी भी चरण में प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों/ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता/गलत सूचना/जानकारी छिपाने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

**नोट 3** अभ्यर्थी को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने से कभी भी विवर्जित नहीं किया गया हो।

**नोट 4** अभ्यर्थी को कभी गिरफ्तार न किया गया हो अथवा किसी सत्र-न्यायालय द्वारा कभी दोषी न ठहराया गया हो अथवा वह कभी किसी न्यायालयी मामले में संलिप्त न रहा हो।

**नोट 5** चयन केंद्र आवंटन, साक्षात्कार की तिथि, मेरिट सूची, नियुक्ति अनुदेश और अन्य प्रासंगिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) देखें। प्रश्नों के उत्तर केवल आरटीजी वेबसाइट पर उपलब्ध 'फीडबैक/क्वैरिज़' विकल्प के माध्यम से ही दिए जाएंगे।

**नोट 6** कृपया हमारी वेबसाइट पर 'फीडबैक/क्वैरिज़' में प्रश्न प्रस्तुत करने से पहले अधिसूचना, वेबसाइट पर टिकर्स, ज्वाइनिंग अनुदेश और वेबसाइट पर अपलोड किए गए अन्य निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें।

**नोट 7** अंतिम समय की आपाधापी से बचने और शंकाओं का ससमय समाधान सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन बंद होने से 03 दिन पहले तक प्राप्त प्रश्नों पर विचार किया जाएगा एवं उनका उत्तर दिया जाएगा।


**नोट 8** आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को परीक्षा सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। परीक्षा सूचना अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मुद्रित है। किसी भी विवाद की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

**ऑनलाइन आवेदन 13 मई 2026 को 1200 बजे खुलेगा और 12 जून को 1200 बजे बंद हो जाएगा।**



# **INDIAN ARMY**

## **10+2 TECHNICAL ENTRY SCHEME - 56**



### **HIGHLIGHTS**


(Information given below is for general awareness only and a Ready Reckoner)  
(Course Notification published on – [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) – is the only official advertisement applicable for the course)

<b>Category</b>	<b>Description</b>	<b>Detailed Notification Paragraph No</b>
Type of Entry	Technical Entry Scheme (TES-56) Jan 2027	Para 1
Open for	Unmarried Male	Para 1
Education Qualification	10+2 Physics, Chemistry & Maths (aggregate 60% and above to apply) and appeared in JEE Mains:2026	Para 2.3
Vacancies	90 (Provisional – Subject to change as per organizational requirement)	Para 3
Age	16½ and 19½ years as on 01 Jan 2027 (not be born before 01 Jul 2007 and not after 01 Jul 2010 (both days inclusive))	Para 2.2
Medical	Please visit <a href="http://www.joinindianarmy.nic.in">www.joinindianarmy.nic.in</a> for Medical Standards and Procedure.	Para 2.4
How to apply	Apply online on <a href="http://www.joinindianarmy.nic.in">www.joinindianarmy.nic.in</a>	Para 9
Application window	13 May 2026 to 12 Jun 2026	
Selection Process	Application > Shortlisting > SSB > Medical > Merit List > Joining Letter	Para 11
Date for publication of Cut-off % of marks for shortlisting	Tentatively First week of Jul 2026	-
Likely duration and dates for SSB	Upto five days SSB between Aug to Sep 2026	Para 10.5
Pre Commission Training Academy	Cadet's Training Wing (CTW) and Indian Military Academy (IMA), Dehradun	Para 5.2
Duration of Training	4 years (03+01)	Para 5
Award of Degree	Engineering Degree	Para 5.3
Stipend during Training	56,100/- p.m while at IMA only	Para 7.4
Rank after Training	Lieutenant	Para 4
Salary on Commissioning	CTC approx. 17-18 Lac per annum (Level 10 in the Pay matrix, Excluding Free Medical cover & Travel to Home town once a year)	-
Type of Commission	Permanent Commission	Para 4
Primary Arms / Service for Commission	Commission in all Arms & Service with majority getting commission in Corps of Engineers, Corps of Signals and Corps of Electronics and Mechanical Engineers.	-



# **INDIAN ARMY**

## **10+2 TECHNICAL ENTRY SCHEME - 56**



1. Applications are invited from unmarried male Candidates who have **passed 10+2** examination with Physics, Chemistry and Mathematics (hereinafter referred to as PCM) subjects **and appeared in JEE (Mains) 2026 examination** and fulfill the eligibility conditions prescribed in the subsequent paragraphs, for the grant of Permanent Commission in the Army for Technical Entry Scheme (TES-56).

## 2 **Eligibility.**

2.1 **Nationality.** A candidate must be an unmarried male and must either be:-

2.1.1 A citizen of India, or

2.1.2 A subject of Nepal, or

2.1.3 A person of Indian origin who migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories 2.1.2, 2.1.3 above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by Govt of India. Certificate of eligibility will, however, not be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal. A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination provisionally, subject to, the necessary certificate being given to him by the Govt; before declaration of result by SSB/joining training.

**Note 1.** Candidates must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate, who marries subsequent to the date of his application, though successful, will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the government during training. (Ref para 6 for applicable rates of recovery).

2.2 **Age Limit.** A candidate must not be below **16½ years and above 19½ years** on the first day of the month in which the course is due to commence on 01 Jan 2027. The candidate should **not be born before 01 Jul 2007 and not after 01 Jul 2010** (both days inclusive).

**Note 1.** Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/ Secondary School Examination or an equivalent (10<sup>th</sup>) certificate will be accepted. No other document relating to age will be accepted.

**Note 2.** Candidates should also note that once a date of birth has been claimed

by them and entered in the records, no change will be allowed subsequently on any ground whatsoever.

### 2.3 Educational Qualification.

2.3.1 Only those candidates who have passed 10+2 Examination or its equivalent with a **minimum aggregate of 60% marks in Physics, Chemistry and Mathematics** from recognized education boards are eligible to apply for this entry. Eligibility condition for calculating PCM percentage of various state /central boards will be based on marks obtained in Class XII only.

2.3.2 Candidate must have appeared in **JEE (Mains) 2026 (Mandatory)**.

2.4 Medical Examination & Physical Standards. Please visit [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) for Medical Standards and Procedure of Medical Examination for Officers Entry into Army as applicable.

**Note :** The proceedings of the Medical Board are confidential and will not be divulged to anyone. Directorate General of Recruiting has no role to play in any Medical Boards. Procedure advised by the competent medical authorities will be strictly adhered to.

2.5 Debarred. Candidate applying for the entry should not have been debarred from appearing in any examination by UPSC. Candidate should not have been arrested/convicted by a criminal court or involved in any court case. **In case any such issue comes to notice during the selection process or pre-commission training, candidate/cadet will be subjected to cancellation of candidature/withdrawal from the Academy by IHQ of MoD (Army).**

3. Vacancies. **90 (Ninety)**, The Vacancies are provisional and can be changed depending on the training capacity at the **Cadets Training Wings (CTWs)** for this course. The vacancies are subject to increase/decrease keeping the organizational requirement at that point of time.

4. Type of Commission. On successful completion of 4 years of the course, cadets will be granted Permanent Commission in the Army in the rank of Lieutenant (Lt.).

5. Training. Total training will be of 4 years at under mentioned Pre Commissioned Training Academies (PCTA). Details are as under:-

5.1 Phase-I. Integrated Basic Military Training & Engineering Training at Cadets Training Wings located at CME, Pune/MCTE, Mhow/MCEME, Secunderabad for three years.

5.2 Phase-II. Integrated Basic Military Training & Engineering Training for one year at IMA, Dehradun.

5.3 **Award of Degree.** The candidates will be awarded Engineering degree after successful completion of 04 (four) years training. No ante date seniority will be admissible to candidates on account of this Engineering degree. During the entire training duration of four years a maximum of two relegations will be permitted on account of academic grounds in accordance with JNU Ordinance. Any further relegation on academic grounds will lead to withdrawal from training.

5.4 **Termination of Commission.** An officer granted Commission will be liable to serve for ten years but his commission may be terminated at any time by the Government of Indian for:-

- 5.4.1 Misconduct or if his services are found to be unsatisfactory, or
- 5.4.2 On account of when found medically unfit, or
- 5.4.3 If his services are no longer required, or
- 5.4.4 If he fails to qualify in any prescribed test or course.
- 5.4.5 An officer may on giving three months' notice be permitted to resign his commission on compassionate grounds of which the Government of India will be the sole judge. An officer who is permitted to resign his commission on compassionate ground will not be eligible for terminal gratuity.

**Note.** Candidates must understand that in case of final selection, their appointment will be provisional subject to satisfactory verification of antecedents by concerned civil/police/education authorities, as applicable.

6. **Cost of Training.** ₹13,940/- (as on 2021) and as notified from time to time per week (for the period of candidate's stay at Cadet Training Wings/Indian Military Academy Dehradun.) The cost of training is borne by State; the same however will be recovered from candidates on withdrawal from academy / voluntary resignation (for personal reasons).

7. **Promotion Criteria and Salary Structure.**

7.1 **Promotion Criteria.**

<b>RANK</b>	<b>PROMOTION CRITERIA</b>
Lieutenant	On commission
Captain	On completion of 02 years reckonable commission service.
Major	On completion of 06 years reckonable commission service.
Lt Colonel	On completion of 13 years reckonable commission service.
Colonel (TS)	On completion of 26 years reckonable commission service.
Colonel	On selection basis subject to fulfillment of requisite service conditions
Brigadier	
Major General	
Lt General	
General	

7.2 **Pay.**

RANK	LEVEL	(PAY IN ₹)
Lieutenant (Lt)	Level 10	56,100-1,77,500
Captain (Capt)	Level 10B	61,300-1,93,900
Major (Maj)	Level 11	69,400-2,07,200
Lieutenant Colonel (Lt Col)	Level 12A	1,21,200-2,12,400
Colonel (Col)	Level 13	1,30,600-2,15,900
Brigadier (Brig)	Level 13A	1,39,600-2,17,600
Major General (Maj Gen)	Level 14	1,44,200-2,18,200
Lieutenant General HAG Scale (Lt Gen)	Level 15	1,82,200- 2,24,100
Lieutenant General HAG + Scale	Level 16	2,05,400-2,24,400
VCOAS/Army Cdr/ Lieutenant General (NFSG)	Level 17	2,25,000/- (fixed)
COAS	Level 18	2,50,000/- (fixed)

7.3 **Military Service Pay (MSP).** MSP to the officers from the rank of Lt to Brig ₹ 15,500/- p.m fixed.

7.4 **Fixed Stipend for Cadet Training.** The gentlemen cadets will be given a stipend of ₹ 56,100/-p.m.\* as admissible to NDA cadets, on completion of 3 years training. On completion 04 years of training, they will be commissioned in the rank of Lt and will be entitled to pay as admissible to the rank.

\* On successful commissioning, the pay in the pay matrix of the officer commissioned shall be fixed in first Cell of Level 10 and the period of training shall not be treated as commissioned service and arrears on account of admissible allowances, as applicable, for the training period shall be paid to cadets.

7.5 **Other Allowances.**

7.6.1	Dearness Allowance	Admissible at the same rates and under the same condition as are applicable to the civilian personnel from time to time.
7.6.2	Kit maintenance Allowance	Subsumed into the newly proposed Dress Allowance i.e ₹ 20,000/-* per year.

7.6 **Risk and Hardship Matrix.** Depending upon rank and area of posting, officers posted to Field Area will be eligible for the following Field Area Allowances#:-

RH Max Offr-Rs 42500/-*/ Siachen Allowance	HARDSHIP			
	HIGH	MEDIUM	LOW	
	HIGH	R1H1 Offr – Rs. 25000*	R1H2 Offrs – Rs. 16900*	R1H3 Offrs – Rs. 5300*

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flying allowance</li> <li>• MARCOS &amp; Chariot allowance</li> <li>• Special Forces Allowance</li> <li>• Submarine allowance</li> <li>• COBRA allowance</li> <li>• High Altitude allowance – Cat III</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HAFA allowance</li> <li>• CI (Fd) allowance (CI Mod Fd @77% of CI Fd)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hosp Patient Care allowance (HPCA)</li> <li>• Patient Care allowance (PCA)</li> <li>• Test Pilot and Flt Engr allowance</li> </ul>
	<b>MED</b>	<p>R2H1 Offrs – Rs. 16900*</p> <p>Nil</p>	<p>R2H2 Offrs – Rs. 10500*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fd Area allowance (Mod Fd Area @ 60% of Fd area allowance)</li> <li>• CI (Peace) allowance</li> <li>• Sea going allowance</li> <li>• Free Fall Jump instr allowance</li> <li>• Para Jump Instr allowance</li> <li>• Para allowance</li> </ul>	<p>R2H3 Offrs – Rs. 3400*</p> <p>Nil</p>
	<b>LOW</b>	<p>R3H1 Offr – Rs. 5300*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• High altitude allowance - Cat II</li> <li>• Tough location allowance-I</li> <li>• Boiler watch keeping allowance</li> <li>• Submarine duty allowance</li> </ul>	<p>R3H2 Offrs – Rs. 3400*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• High altitude allowance - Cat I</li> <li>• Tough location allowance-II</li> <li>• Project allowance</li> <li>• Compensatory (Const or svy) allowance</li> <li>• Hydro Svy allowance (except non-surveyors)</li> </ul>	<p>R3H3 Offrs – Rs. 1200*</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tough location allowance-III</li> <li>• Cooking allowance</li> <li>• Hardlying money (full rate)</li> <li>• Health and malaria allowance</li> <li>• Special LC Gate allowance</li> <li>• Submarine Tech allowance</li> </ul>

				• Hydro Svy allowance (for non-surveyors)
--	--	--	--	---

7.7 **Dress Allowance.** ₹20,000\*/- per year.

7.8.1 **Ration in Kind.** In peace and field areas.

7.8.2 **Transport Allowance (TPTA).**

Pay Level	Higher TPTA Cities (₹ Per month)	Other Places (₹ Per month)
9 and above	₹ 7200+DA thereon	₹ 3600+DA thereon

**Note.**

(1) **Higher Tpt Cities (UA).** Hyderabad, Patna, Delhi, Ahmedabad, Surat, Bengaluru, Kochi, Kozhikode, Indore, Greater Mumbai, Nagpur, Pune, Jaipur, Chennai, Coimbatore, Ghaziabad, Kanpur, Lucknow, Kolkata.

(2) The allowance shall not be admissible to those service personnel who have been provided with the facility of Government transport.

(3) Officers in Pay Level 14 and above, who are entitled to use official car, will have the option to avail official car facility or to draw the TPTA at the rate of ₹15,750+DA thereon.

(4) The allowance will not be admissible for the calendar month(s) wholly covered by leave.

(5) Physically disabled service personnel will continue to be paid at double rate, subject to a minimum of ₹2,250+DA thereon.

7.9 **Children Education Allowance.** ₹2,250/-\* per month per child for first two eldest surviving children; only from three classes before class one to 12<sup>th</sup> class are permitted.

7.9.1 Reimbursement should be done just once a year, after completion of the financial year (which for most schools coincides with the Academic year).

7.9.2 Certificate from the head of institution where the ward of government employee studies should be sufficient for this purpose. The certificate should confirm that child studied in the school during the previous academic year.

**Note 1.** Please note that pay & allowances and rules/provision thereof are subject to revision from time to time.

**Note 2.** In the case of allowances specific to Defence Forces, the rates of these allowances would be enhanced by 25% automatically each time the Dearness Allowance payable on the revised pay band goes up by 50% (Gol letter No A-27012/02/2017-Estt.(AL) dt 16 Aug 2017).

7.10 **Hostel Subsidy.** ₹6,750/-\* per month per child for two eldest surviving children only.

7.11 **Leave.** Leave will be admissible in accordance with the leave rules in force from time to time.

(\*The rates of allowances would be enhanced by 25% automatically each time the DA goes up by 50%.)

(#These allces at Para 7.6 are applicable strictly as per the laid down qualification/eligibility conditions and are not entitled to everyone.)

8. **Life Insurance.** On being commissioned, all officers will be guided by the terms and conditions as given out by the Army Group Insurance Scheme and as amended from time to time.

8.1 Army Group Insurance Fund Provides insurance cover of ₹30 lakh on payment of one time non-refundable premium of ₹14,000/- by cadets from the date of joining for pre-commission training. It provides the cover for first three yrs of trg when cadets are NOT in receipt of stipend. If a cadet is relegated an additional premium of ₹2,635/- per relegated term will be paid. **For those who are invalidated out by IMB on account of disability and not entitled to any pension will be provided ₹25 Lakhs for 100 percent disability. This will be proportionately reduced to ₹5 lakhs for 20 percent disability.** However, for less than 20 percent disability, only an Ex-Gratia Grant of ₹50,000/- for first two years of training and ₹1 lakh during the 3<sup>rd</sup> year of training will be paid. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to the diseases of pre-enrolment origin will not qualify for disability benefit and Ex-Gratia Grant. In addition, a Cadet withdrawn on disciplinary grounds, expelled as undesirable or leaving the Academy voluntarily will also not be eligible for disability benefits and Ex-Gratia. There is no saving component under the scheme.

8.2 The Gentlemen Cadets when in receipt of stipend are insured for ₹ 1.25 Cr as applicable to officers of the regular Army. Subscription at the rate of ₹ 12,500/- will have to be paid in advance on monthly basis by Gentlemen Cadet to become member under the AGI Scheme as applicable to regular Army officers. **For those who are invalidated out by Invaliding Medical Board (IMB) on account of disability and not entitled to any pension will be provided ₹ 25 Lakh for 100 percent disability. This will be proportionately reduced to ₹ 5 Lakh for 20 percent disability.** However, for less than 20 percent disability, an Ex-Gratia Grant of ₹ 50,000/- only will be paid. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to the diseases of pre-enrolment origin will not qualify for disability benefit and Ex-Gratia Grant. In addition, Gentlemen Cadets withdrawn on disciplinary grounds, expelled as undesirable or leaving the Academy voluntarily will not be eligible for disability benefits and Ex-Gratia.

9. **How to Apply.** Application will only be accepted online. To do so the candidate needs to click on the 'online application' button on website [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) and follow the procedure for registration.

9.1 Candidates must enter their particulars in the online application. Terms and conditions linked to the form must be read, prior to submitting the form.

9.2 A candidate is permitted to make changes to data filled incorrectly in

online application till the closing of the online applications. The candidate must 'submit' his application each time he opens his application for editing. No changes to online application will be permitted thereafter and no representation in this regard will be entertained.

9.3 After successfully submitting the form, the candidate will receive a confirmation in the form of a dialog box of having submitted the application. Print out of the application with a Roll number will be available to the candidate 30 mins after the closing of online applications. Candidates are required to **print two copies of the application with Roll Number** generated by the system. **One copy of the print out application duly self attested by the candidate will be carried to the selection centre for the SSB interview.**

Following documents will also be carried along with the Application Form:-

9.3.1 Class 10<sup>th</sup> certificate and mark sheet in original showing date of birth (DOB).

9.3.2 Class 12<sup>th</sup> pass certificate and mark sheet in original.

9.3.3 ID proof in original.

9.3.4 **Copy of result of JEE (Mains) 2026**

**The second print copy of the online application is to be retained by the candidate for his reference. There is no need to send any print copy of application to Directorate General of Recruiting.**

9.4 Two self-attested photocopies of the certificates mentioned at para 9.3 above will be submitted at the time of SSB interview and originals will be returned after verification at the SSB itself.

9.5 20 copies of self-attested PP size photograph will also be carried alongwith the Application Form.

9.6 DIGILOCKER Certificate will not be accepted in lieu of ORIGINAL Certificates. In case any School/College does not issue Certificate in Hard/Physical format, a certificate must be obtained from the School/college (Principal/Registrar) to that effect stating that only e-certificates has been issued through DIGILOCKER and no hard copy has been provided. In such cases, candidates must produce a colour printout of the e-certificate, duly authenticated by the concerned School/college or university.

9.7 **Candidates must submit only one application. Receipt of multiple applications from the same candidate will result in cancellation of candidature.**

<b>TO PREVENT REJECTION OF APPLICATION, THE CANDIDATES ARE ADVISED TO READ THE NOTIFICATION CAREFULLY TO AVOID MISTAKES BEFORE FILLING UP THE ONLINE APPLICATION.</b>
---

**Note 1.** Any change in your postal address after submission of application must be communicated by post duly quoting your Roll No, name and course opted for.

**Note 2.** In case, the candidate is employed he will inform his employment details and also give undertaking that he has informed the employer in writing that he is applying for commission in the Army.

10. **Important Instructions.**

10.1 The candidate needs to apply 'online' on Directorate General of Recruiting Website [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in). The application will be screened at Directorate General of Recruiting, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Army) and the candidate thereafter shortlisted after screening process will be detailed for SSB.

10.2 For SSB interview, print out of online application must be accompanied by original documents along with two sets of self attested photocopies i.e. 10th class pass certificate issued by the Board concerned (CBSE/ State Boards/ICSE) while to date of birth is reflected as proof of date of birth (Admit card/Mark sheet/Transfer/Leaving Certificate etc. are not acceptable as proof of date of birth) and 10+2 pass certificate and mark sheet for proof of education and a copy of result of JEE (Mains) 2026. Revised mark sheets issued by a Board/University after last date of submitting online application will not be accepted for this course.

10.3 While filling up the application form, candidates are required to indicate exact PCM percentage of Class 12th upto two decimals and are not to be rounded off. Any false entry of PCM percentage, detected at any stage of selection process will be out rightly rejected and candidature will be cancelled.

ALL CANDIDATES ARE REQUIRED TO FILL THEIR APPLICATION NUMBER FOR JEE MAINS 2026 FOR B.E/B TECH COURSES ONLY.

10.4 Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army) reserves the right to shortlist applications and to fix cut off without assigning any reason. No communication will be entertained on this account. All incomplete online applications will be rejected outright. No intimation will be given to the candidate in writing or verbally.

10.5 Shortlisted candidates will be detailed to undergo **SSB interview** tentatively to be scheduled from **Aug/Sep 2026** onwards.

10.6 No compensation will be paid in respect of any injury sustained as a result or during the tests conducted at SSB.

10.7 Candidate withdrawn from NDA, OTA, IMA, Naval Academy, Air Force Academy or any service trg academy on disciplinary grounds earlier in past is not eligible to apply for the entry.

10.8 Final merit list will be displayed on the Directorate General of Recruiting website [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in) before induction for pre-commissioning training at nominated Pre-commission training Academy (PCTA).

11. **Selection Procedure.** The selection procedure is as follows:-

11.1 **Shortlisting of Applications.** Integrated HQ of MoD (Army) reserves the right to shortlist the applications and to fix cut off based on the JEE Mains CRL and other laid down parameters, without assigning any reason. After shortlisting, candidates will have to log in to the website and select their SSB Centre & date

which are available on a first come first serve basis. SSB Centre and Date once selected will not be changed later. **The option to select SSB Centre & SSB date by candidates may be forfeited due to occurrence on any exceptional circumstance/events.** Directorate General of Recruiting, Integrated Headquarters of MoD (Army) reserves the right to change SSB Centre and Date once selected.

11.2 **SSB.** Only shortlisted eligible candidates depending on the cut off will undergo SSB at one of the Selection Centres i.e, Prayagraj (UP), Bhopal (MP), Bengaluru (Karnataka) or Jalandhar (Punjab) by Psychologist, Group Testing Officer and Interviewing Officer. Call Up letter for SSB interview will be issued by respective Selection Centres on candidate's registered e-mail ID and SMS only. Allotment of Selection Centre is at the discretion of Directorate General of Recruiting, Integrated Headquarters of MoD (Army) and NO request for changes are entertained in this regard. Candidates will be put through **two stage selection procedure. Those who clear Stage I will go to Stage II. Those who fail in Stage I will be returned on the same day.** Duration of SSB interview is **five days** and details of the same are available at the official website of Directorate General of Recruiting [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in). This will be followed by a medical examination for the candidates who get recommended after Stage II.

11.3 **Medicals.** Candidates recommended by SSB, are required to undergo Medical examination at nearest Military Hospital immediately after SSB and candidate should have no objection for undergoing medical examination by board of Male/Female doctors. (also ref to Note to para 2.4 above)

11.4 **Merit and Joining Letters.** Merit list will be prepared based only on the marks obtained by the candidates in SSB. Candidates recommended by the SSB and declared medically fit, will be issued Joining Letter for training in the order of merit, depending on the number of vacancies available, subject to meeting all eligibility criteria

**Note 1.** In case, Any candidate does not wish to join the above mentioned course for personal reason, The same will be intimated to the Directorate General of Recruiting by logging on to personal profile through feedback/query on the JIA website. In case, Any candidate fails to report at the allotted CTW within 07 days from the allotted date of reporting, the candidature of such candidate will be liable to be cancelled and the next candidate in merit will be upgraded to fill the vacancy.

11.5 **Choice of CTWs.** Candidates who have been recommended by the SSBs will be required to fill three choices of Cadets Training Wing (CTW) i.e. CTW, CME Pune, CTW, MCTE Mhow & CTW, MCEME Secunderabad. All choices will be required to be mandatorily filled. There should be no common choices. Choice cannot be changed once made by the candidate. Filling of choice will not determine allocation of Cadets Training Wings. Final allocation of Cadets Training Wings will be decided by Indian Army and will be indicated in the joining instructions issued. No representation or change of Cadets Training Wings will be permitted.

11.6 **Physical Standards.** Candidates who are issued joining letters are expected to achieve minimum physical standards as tabulated below:-

Ser No	Activity	Minimum Physical Standards on Arrival for Training
		Officer Cadet (Male)
11.6.1	2.4 Km Run	10 Minutes 30 Seconds
11.6.2	Push Up	40
11.6.3	Pull Up	06
11.6.4	Sit Up	30
11.6.5	Squats	Two Sets of 30 Repetitions
11.6.6	Lunges	Two Sets of 10 Repetitions
11.6.7	Swimming	Should know fundamentals of swimming

11.7 **Engineering Degree.** The Engg Streams offered by three CTWs are as follows:-

Ser No	CTW	Degree	Parent Arm/Service
11.7.1	CTW CME, Pune	Civil & Mech Engg.	Corps of Engineers.
11.7.2	CTW MCTE, Mhow	Telecom & IT Engg. (Dual Degree).	Corps of Signals.
11.7.3	CTW MCEME Secunderabad	Elect & Mech Engg.	Corps of Electronics & Mechanical Engineers.

11.8 The finally selected candidates will execute all the Bonds/Certificates as prescribed for the Regular Cadets of NDA entry under AI 53/78.

11.9 Candidate will not have any right of objection in the event of final selection or on allotment of any Arm/Service, and same will be done in the interest of the organisation.

**Note 1.** No claim or compensation will be made by the candidate if at any stage of selection the candidate's ineligibility is detected and candidature is cancelled as a result thereof.

**Note 2.** Candidate will be debarred from future attempts and cancellation from the present course if at any stage of selection he is found to be indulging in any violation of local orders concerning discipline aspects.

**Note 3. PROCEDURE FOR COMMON CANDIDATES : TES & NDA ENTRY**

(1) The candidates who apply for 10+2 Technical Entry Scheme (TES) and National Defence Academy (NDA & NA) parallel courses need to undergo a medical examination for the entry in which he is recommended first.

(2) Those candidates who are recommended for TES prior to their NDA SSB will have to undergo medical for TES and NDA (AF and Navy) separately. The NDA medical examination will begin only after the candidate is declared FIT in TES medicals. If only NDA Army is their preference, these TES candidates need not undergo NDA medical again.

(3) The candidates who are recommended in SSB for NDA prior to TES will not undergo medical for TES separately. The Medical Status for TES (10+2) will be same as NDA (Army) medical examination Status. In case the NDA Medical process is still in progress i.e. SMB or AMB or RMB, the same will be completed and candidates will not appear again for TES Medical. A candidate declared UNFIT in NDA will be considered UNFIT for TES as well.

(4) If the candidate is found UNFIT/ UNFIT IN ABSENTIA at any stage of medical examination in any entry i.e. TES or NDA & NA parallel courses he will be declared UNFIT for both the entries and no representation will be accepted thereafter.

(5) Non-disclosure of any previous Medical exam information will lead to cancellation of candidature.

12. **Permanent Body Tattoos.** For detailed Tattoo policy, visit [www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in).

13. **Change of Interview Dates.** No Request for change of SSB Interview date/centre will be entertained to or replied.

14. **Entitlement for Travelling Allowance.** Candidates appearing for SSB interview for the first time for a particular type of commission shall be entitled for AC III tier to and fro railway fare or bus fare including reservation cum sleeper charges within Indian Geographical limits. Candidates who apply again for the same type of commission will not be entitled to travelling allowance on any subsequent occasion. For any query/clarification regarding admissibility or payment of travelling allowance, the candidates may directly approach the concerned Selection Centre.

15. **MERIT LIST.** IT MUST BE NOTED THAT MERE QUALIFYING AT THE SSB INTERVIEW DOES NOT CONFIRM FINAL SELECTION. MERIT WILL BE PREPARED ON THE BASIS OF MARKS OBTAINED BY THE CANDIDATE AT SSB INTERVIEW. HIGHER EDUCATIONAL QUALIFICATIONS, PREVIOUS PERFORMANCES, NCC BACKGROUND ETC. HAVE NO ROLE TO PLAY FOR FINALIZATION OF THE MERIT LIST. JOINING LETTERS TO JOIN PRE-COMMISSION TRAINING AT CADETS TRAINING WINGS WILL ONLY BE ISSUED SUBJECT TO VACANCIES AND MEDICAL FITNESS.

**Note 1.** On joining the Army, some personal restrictions in service will be imposed in accordance with Article 33 of the Constitution of India as promulgated in the Army Act and Army Rules from time to time.

**Note 2.** Any ambiguity/false information/concealment of information detected in the certificates/documents/ online application will result in cancellation of the candidature at any stage of selection thereafter.

**Note 3.** The candidate should have never been debarred from appearing in any examination by UPSC.

**Note 4.** The candidate should have never been arrested or convicted by a criminal court or involved in any case

**Note 5.** For all queries regarding allotment of Selection Centre's, date of interview, merit list, joining instructions and any other relevant information please visit our website

[www.joinindianarmy.nic.in](http://www.joinindianarmy.nic.in). Queries will be replied **ONLY** through 'Feedback/Queries' option available on the Rtg website.

**Note 6.** Please read the Notification, Tickers on website, joining instructions and other instructions uploaded on the website thoroughly before submission of queries in 'Feedback/Query' on our website.

**Note 7.** In order to avoid last hour rush and ensure timely response, queries received upto 03 days prior to closing of online application will **ONLY** be entertained/replied.

**Note 8.** Before applying, candidates must go through the instruction given in the notice of examination very carefully. The notification of this course is printed both in English and Hindi. In case of any dispute, the English version will prevail.

**ONLINE APPLICATION WILL OPEN ON 13 MAY 2026 AT 1200 HRS AND WILL  
CLOSE ON 12 JUN 2026 AT 1200 HRS**